

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक : 548 ⁽¹⁻¹¹⁾ /एक-2-2/85


दिनांक: 28.02.2024

प्रतिलिपि :

1. द्वितीय जिला न्यायाधीश, सेंवढ़ा
2. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दतिया
3. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया
4. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंवढ़ा
5. प्रस्तुतकार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंवढ़ा, जिला दतिया
6. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंवढ़ा, जिला दतिया
7. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया
उपरोक्त सभी की ओर संशोधित कार्य विभाजन पत्रक (प्रथम संशोधन) वर्ष 2024 की प्रति वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
8. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ दतिया/सेंवढ़ा की ओर संशोधित कार्य विभाजन पत्रक (प्रथम संशोधन) वर्ष 2024 की प्रति वास्ते सूचनार्थ एवं समस्त अधिवक्तागण को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)



कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश (प्रथम संशोधन) ::

क्रमांक: 09/एक-2-2/85

दिनांक: 27.02.2024

मैं, **संजीव श्रीवास्तव**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया पूर्व में प्रभावशील कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 06/एक-2-2/85 दिनांक 19.02.2024 के अनुक्रम में **खण्ड "अ"** के **सरल क्रमांक 8** की उप कण्डिका 1, 2 एवं 3 में, **सरल क्रमांक 10** तथा **सरल क्रमांक 11** की उप कण्डिका 1 में तहसील दतिया के पश्चात् शब्द "तथा सेंवड़ा" का विलोपन, **सरल क्रमांक 14** की उप कण्डिका 10 का पुनर्निर्माण, **सरल क्रमांक 15** की उप कण्डिका 1 को विलोपित कर 1 लगायत 6 पुनर्निर्माण, **सरल क्रमांक 16** की उप कण्डिका 1 लगायत 4 का विलोपन, **सरल क्रमांक 17** की उप कण्डिका 1 लगायत 3 का विलोपन कर पुनर्निर्माण तथा **खण्ड "अ"** की तालिका के अंत में उल्लेखित **नोट** में वर्णित "प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंवड़ा" के स्थान पर "**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंवड़ा**" कर **कार्य विभाजन पत्रक 2024 का पुनर्नियोजन** करता हूँ। अतः नवीनस्थापन अनुरूप निम्नानुसार संशोधन (पुनर्स्थापन) पढ़ा जावे-

खण्ड - अ

"सिविल न्यायालय कार्य विभाजन"

क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
8.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दतिया	<ol style="list-style-type: none">1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रु. 50,00,001/- (पचास लाख एक रुपये) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण।2. तहसील दतिया नगर पालिका दतिया क्षेत्र से उत्पन्न म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत धारा 139 तथा धारा 172 के अन्तर्गत अपीलें।3. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रकरण।
10.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के प्रथम अति. न्या. दतिया	<ol style="list-style-type: none">1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक रुपये) से 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद, निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण।
11.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	<ol style="list-style-type: none">1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 25,00,001/- (पच्चीस लाख एक रुपये) से 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण।
14.	द्वितीय जिला न्यायाधीश, सेंवड़ा	10. तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड तथा वर्तमान में पदस्थ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंवड़ा एवं पूर्व में पदस्थ प्रथम सिविल जज वर्ग-2 सेंवड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण।
15.	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	<ol style="list-style-type: none">1. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक रुपये) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण।

		<ol style="list-style-type: none"> 2. नगर पालिका सेंवड़ा एवं इन्दरगढ़ क्षेत्र से संबंधित नगर पालिका अधिनियम 1961 उत्पन्न धारा 139 तथा धारा 172 की अपीलें। 3. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अन्तर्गत प्रकरण। 4. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत तहसील सेंवड़ा क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत पूर्व से लंबित तथा उत्पन्न होने वाले सिविल तथा आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अत्यावश्यक कार्य हेतु अधिकृत किया जाता है। 5. इसी न्यायालय एवं पूर्व में कार्यरत रहे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश सेंवड़ा द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपील्य आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
16.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
17.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रूपये 01/- (एक रूपये) से 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रूपये 01/- (रूपये एक) से 500/- (रूपये पांच सौ पचास) रूपये मूल्य तक के लघुवाद/निष्पादन/विविध प्रकरण। 3. तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंवड़ा के न्यायालय में लंबित प्रकरणों से संबंधित अत्यावश्यक कार्य हेतु अधिकृत किया जाता है। 4. इसी न्यायालय एवं तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंवड़ा तथा पूर्व में पदस्थ रहे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सेंवड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपील्य आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।

नोट :

ग्राम न्यायाधिकारी, सेंवड़ा जिला दतिया का न्यायालय रिक्त होने के कारण ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत तहसील सेंवड़ा क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत पूर्व से लंबित तथा उत्पन्न होने वाले सिविल, आपराधिक प्रकरणों से संबंधित मात्र **अत्यावश्यक कार्य** हेतु आगामी अधिसूचना प्राप्त होने तक **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंवड़ा** को अधिकृत किया गया है।

स्थान : दतिया।

(संजीव श्रीवास्तव)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

दतिया (म.प्र.)


कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश ::

मैं, **संजीव श्रीवास्तव**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया पूर्व में प्रभावशील कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 06/एक-2-2/85 दिनांक 19.02.2024 के संलग्न अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश की तालिका में सरल क्रमांक **14ए का समायोजन** एवं **क्रमांक 16 का विलोपन** तथा सरल क्रमांक 17 में निम्नानुसार संशोधन करता हूँ-

क्रं.	न्यायाधीश का पदनाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
14ए.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सेवदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दतिया
16.	विलोपित	विलोपित	विलोपित
17.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेवदा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सेवदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, दतिया

यह आदेश **दिनांक 27 फरवरी, 2024** से प्रभावशील होगा।


(संजीव श्रीवास्तव)

स्थान : दतिया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)